**श्री अकलू राम महतो**

**बनाम**

**श्री राजेंद्र महतो**

**अप्रैल 1, 1999**

**[श्रीमती सुजाता वी. मनोहर और श्री के. वेंकटस्वामी, न्यायमूर्तिगण]**

*लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:*

*धारा 10-निर्वाचन-अभ्यर्थियों की निरर्हता-खलासी और मीटर रीडर-विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर करना-निर्वाचन अधिकारी-नामांकन पत्रों को इस आधार पर अस्वीकार करना कि वे कंपनी के 'प्रबंध अभिकर्ता' थे-चुनौती देने पर, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए निर्वाचन को अपास्त कर दिया कि नामांकन पत्र गलत तरीके से अस्वीकार किए गए थे-अपील पर, अभिनिर्धारित: दोनों पद गैर-कार्यकारी पद हैं और उन्हें कंपनी के मामलों का प्रभार नहीं सौंपा गया था-इस प्रकार अभ्यर्थियों को 'प्रबंध अभिकर्ता', 'सचिव' या 'प्रबंधक' नहीं माना जा सकता-नामांकन पत्रों की अस्वीकृति पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण थी।*

*भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 191 (1) (क)-' भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाले व्यक्ति'- विधानसभा/परिषद के सदस्य होने के लिए निरर्हित-खलासी या मीटर रीडर-केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं-नियुक्ति और निष्कासन की शक्ति केंद्र सरकार द्वारा प्रयुक्त नहीं-अभिनिर्धारित: सरकार के अधीन कर्मचारी नहीं- इस प्रकार विधानसभा/परिषद के लिए निर्वाचित होने के लिए निरर्हित नहीं।*

**उत्तरदाता भारतीय इस्पात प्राधिकरण के बोकारो इस्पात संयंत्र में खलासी और मीटर रीडर के रूप में कार्यरत थे। अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दायर किए। निर्वाचन अधिकारी ने इस आधार पर उत्तरदाताओं के नामांकन पत्रों को अस्वीकार कर दिया कि वे इस्पात संयंत्र के प्रबंध अभिकर्ता थे और इसलिए वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के तहत निरर्हित थे। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता**

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित हो गया। चुनौती देने पर, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के निर्वाचन को अपास्त कर दिया इस आधार पर कि उत्तरदाताओं के नामांकन पत्र गलत तरीके से अस्वीकार किए गए थे। इसलिए यह वर्तमान अपीलें हैं।

अपीलकर्ता का तर्क था कि चूंकि उत्तरदाता केंद्र सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहे थे, इसलिए उनके नामांकन पत्र सही तरीके से अस्वीकार किए गए थे क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(क) के प्रावधान आकर्षित हुए थे।

अपीलों को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. उच्च न्यायालय यह मानने में न्यायोचित था कि दोनों उत्तरदाताओं के नामांकन पत्र गलत तरीके से अस्वीकार किए गए थे और इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के तहत अपीलकर्ता के निर्वाचन को अपास्त करना आवश्यक था। [370- एच; 371- ए- बी]

2. निर्वाचन अधिकारी का वह आदेश जो उत्तरदाताओं द्वारा दायर नामांकन पत्रों को इस आधार पर अमान्य ठहराता है कि वे इस्पात संयंत्र के कर्मचारी थे और वे इस्पात संयंत्र के प्रबंध अभिकर्ता हैं, प्रत्यक्ष रूप से ही, पोषणीय नहीं है। खलासी और मीटर रीडर के पद गैर-कार्यकारी पद हैं। धारा 10 केवल उस कंपनी के प्रबंध अभिकर्ता, सचिव या प्रबंधक को निरर्हित करती है, जिसकी पूंजी में समुचित सरकार का पच्चीस प्रतिशत से कम हिस्सेदारी नहीं है। स्पष्ट है, उनमें से कोई भी न तो सचिव है और न ही प्रबंधक। प्रबंध अभिकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे किसी कंपनी के संपूर्ण या पर्याप्त रूप से संपूर्ण मामलों के प्रबंधन का प्रभार सौंपा गया हो। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में से कोई भी इस्पात संयंत्र के मामलों का प्रभारी नहीं है और उसे बोकारो इस्पात संयंत्र का प्रबंध अभिकर्ता नहीं माना जा सकता है। इसलिए, दोनों उत्तरदाताओं के नामांकन पत्रों की अस्वीकृति पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण थी। [365- ई- एच; 366- ई]

3. उत्तरदाताओं को केंद्र सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जा सकता है। इस्पात संयंत्र भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन है। यह कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक कंपनी है। निःसंदेह, इसके शेयर केंद्र सरकार के स्वामित्व में हैं। अध्यक्ष और निदेशक मंडल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि, इस्पात संयंत्र में श्रमिकों की नियुक्ति और निष्कासन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के नियंत्रण में है।

उनका पारिश्रमिक भी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड या इस्पात संयंत्र द्वारा किए गए कार्यों को सरकार के आवश्यक कार्य नहीं माना जा सकता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के ज्ञापन अनुबंध में निर्धारित उद्देश्यों में भारत में या कहीं और सभी गुणों, ग्रेड और प्रकारों के लोहे और इस्पात के निर्माण, पूर्वेक्षण, उत्थापन, संचालन, क्रय, विक्रय, आयात, निर्यात, क्रय या अन्यथा व्यापार या व्यवसाय करना शामिल है। इन उद्देश्यों में लोहे और इस्पात उद्योग के एकीकृत और कुशल विकास को बढ़ावा देने और व्यवस्थित करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना और उद्देश्य खंड में निर्धारित तरीके से सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना भी शामिल है। इस संदर्भ में खलासी या मीटर रीडर के पद को धारण करने वाला एक कर्मचारी केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं है और न ही उसकी नियुक्ति या निष्कासन की शक्ति केंद्र सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है। उसके कार्य पर नियंत्रण सरकार द्वारा नहीं, बल्कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार उत्तरदाता भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (क) के तहत निरर्हित नहीं थे। [370- डी- एच]

*गुरुगोबिंद बसु बनाम शंकरी प्रसाद घोषाल और अन्य,* [1964] 4 एस.सी.आर. 311; *डी.आर. गुरुशांतप्पा बनाम अब्दुल खुद्दस अनवर और अन्य,* ए.आई.आर. (1969) एस.सी. 744; *बिहारीलाल डोबराय बनाम रोशन लाल डोबराय,* [1984] 1 एस.सी.सी. 551 और

*सत्रुचरला चंद्रशेखर राजू बनाम विचेरला प्रदीप कुमार देव और एक अन्य,* **[1992] 4 एस.सी.सी. 404 का संदर्भ लिया गया।**

*गुजरात राज्य और एक अन्य आदि बनाम रमन लाल केशव लाल सोनी और अन्य आदि,* **[1983] 2 एस.सी.सी. 33, अप्रयोज्य माना गया।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील सं. 7538/1997।

पटना उच्च न्यायालय के ई.पी. सं. 5/1995 (आर) में दिनांक 17.10.97 के निर्णय और आदेश से।

आर. सुंदरवर्धन, प्रशांत कुमार, विजय कुमार, बी.के. शर्मा, कुमार परिमल और ए.वी. राव अपीलकर्ता के लिए।

एस.के. वर्मा, एम.के. चौधरी और ए. शरण उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

**श्रीमती सुजाता वी. मनोहर, न्यायमूर्ति:** ये अपीलें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116ए के तहत दायर की गई हैं। जनवरी 1995 में भारत के निर्वाचन आयोग ने अन्य बातों *के साथ-साथ* बिहार राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव हेतु एक अधिसूचना जारी की। बोकारो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 279 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 23.1.1995 थी। अपीलकर्ता और दो अपीलों में उत्तरदाताओं ने बोकारो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपने नामांकन पत्र दायर किए। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 24.1.1995 को हुई। दोनों अपीलों में उत्तरदाताओं के नामांकन इस आधार पर अस्वीकार कर दिए गए कि उत्तरदाता राजेंद्र महतो और अशोक कुमार श्रीवास्तव भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से संबंधित बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंध अभिकर्ता थे। इसलिए वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के तहत निरर्हित थे।

चुनाव में, अपीलकर्ता बोकारो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो गया। दोनों उत्तरदाताओं ने इस आधार पर अपीलकर्ता के निर्वाचन को चुनौती देते हुए अलग-अलग

निर्वाचन याचिकाएं दायर कीं कि उनके नामांकन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकार किए गए थे। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिकाओं में सफलता प्राप्त की है। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अपीलकर्ता के निर्वाचन को अपास्त कर दिया कि दोनों उत्तरदाताओं के नामांकन पत्र गलत तरीके से अस्वीकार किए गए थे। अपीलकर्ता ने दोनों निर्वाचन याचिकाओं में उच्च न्यायालय के निर्णय से वर्तमान अपीलें दायर की हैं।

उत्तरदाता-राजेंद्र महतो (दीवानी अपील सं. 7538 सन् 1997 में) प्रासंगिक समय पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बोकारो इस्पात संयंत्र में खलासी के पद पर कार्यरत थे। यह उक्त संयंत्र में स्तर-III का पद है। उत्तरदाता- अशोक कुमार श्रीवास्तव (दीवानी अपील सं. 7644/1997 में) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बोकारो इस्पात संयंत्र में मीटर रीडर के रूप में कार्यरत थे। यह स्तर VII का पद है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें संपूर्ण शेयर धारण केंद्र सरकार द्वारा धारित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 निम्नानुसार प्रदान करती है:

> "सरकारी कंपनी के अधीन पद के लिए निरर्हता-एक व्यक्ति निरर्हित होगा यदि, और जब तक वह, किसी कंपनी या निगम (एक सहकारी समिति के अलावा) के प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव है, जिसकी पूंजी में समुचित सरकार का पच्चीस प्रतिशत से कम हिस्सेदारी नहीं है।"

279-बोकारो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी ने अपने आदेश में राजेंद्र महतो और अशोक कुमार श्रीवास्तव द्वारा दायर नामांकन पत्रों को इस आधार पर अमान्य ठहराया है कि दोनों उत्तरदाता बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारी हैं और वे बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंध अभिकर्ता हैं। इसलिए वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के तहत निरर्हित हैं।

निर्वाचन अधिकारी का आदेश, प्रत्यक्ष रूप से ही, पोषणीय नहीं है। राजेंद्र महतो, जो खलासी के पद पर थे जो श्रमिकों के वर्गीकरण में स्तर एल-III पर है, एक गैर-कार्यकारी पद

धारण कर रहे हैं। अशोक कुमार श्रीवास्तव, जो मीटर रीडर के रूप में कार्यरत थे, स्तर एल-VII पर कार्यरत थे। ये दोनों पद गैर-कार्यकारी पद हैं। धारा 10 केवल उस कंपनी के प्रबंध अभिकर्ता, सचिव या प्रबंधक को निरर्हित करती है, जिसकी पूंजी में समुचित सरकार का पच्चीस प्रतिशत से कम हिस्सेदारी नहीं है। स्पष्ट है, उनमें से कोई भी न तो सचिव है और न ही प्रबंधक। प्रबंध अभिकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे किसी कंपनी के संपूर्ण या पर्याप्त रूप से संपूर्ण मामलों के प्रबंधन का प्रभार सौंपा गया हो। कंपनी अधिनियम को अधिनियम सं. XVII सन् 1969 द्वारा संशोधित किए जाने के कारण प्रबंध अभिकरण 3 अप्रैल, 1970 से समाप्त कर दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (25) के तहत प्रबंध अभिकर्ता की निम्नलिखित परिभाषा शामिल है:

> "2 (25)- "प्रबंध अभिकर्ता" का अर्थ कोई व्यक्ति, फर्म या निगमित निकाय है जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कंपनी के साथ एक करार के आधार पर, या उसके ज्ञापन या संगम के अनुच्छेद के आधार पर, कंपनी के संपूर्ण, या पर्याप्त रूप से संपूर्ण, मामलों के प्रबंधन का हकदार है, और इसमें कोई व्यक्ति, फर्म या निगमित निकाय शामिल है जो प्रबंध अभिकर्ता की स्थिति को धारण करता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;
>
> स्पष्टीकरण I-इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए, "प्रबंध अभिकर्ता" के संदर्भों को किसी व्यक्ति, फर्म, या निगमित निकाय के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जो 3 अप्रैल, 1970 से पहले किसी भी समय, किसी कंपनी का प्रबंध अभिकर्ता था;
>
> स्पष्टीकरण II-संदेहों को दूर करने के लिए, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 6 में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, यह खंड प्रभावी रहेगा, और हमेशा प्रभावी माना जाएगा।"

यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में से कोई भी बोकारो इस्पात संयंत्र के मामलों का प्रभारी नहीं है और उसे बोकारो इस्पात संयंत्र का प्रबंध अभिकर्ता नहीं माना जा सकता है। इसलिए, दोनों उत्तरदाताओं के नामांकन पत्रों की अस्वीकृति पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण थी।

हालांकि, अपीलकर्ता ने निर्वाचन याचिका में तर्क दिया कि भले ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 आकर्षित न हो, संविधान के अनुच्छेद 191 के प्रावधान दोनों उत्तरदाताओं पर लागू होते हैं और इसलिए उनके नामांकन पत्र सही तरीके से अस्वीकार किए गए थे। अनुच्छेद 191 (1) (क) के तहत निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

> "अनुच्छेद 191- (1) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा-
>
> (क) यदि वह भारत सरकार के अधीन या प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, सिवाय उस पद के जिसे राज्य के विधानमंडल ने विधि द्वारा अधिरहित न होने की घोषणा की हो।"

क्या दोनों उत्तरदाताओं में से किसी को भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला माना जा सकता है? गुरुगोबिंद बसु बनाम शंकरी प्रसाद घोषाल और अन्य (1964 (4) एस.सी.आर. 311) के मामले में न्यायालय ने पहले के प्राधिकारों की जांच करने के बाद विभिन्न कारकों को सूचीबद्ध किया जो यह निर्धारित करने में शामिल हैं कि क्या कोई व्यक्ति सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है। वह सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है यदि सरकार है: (1) नियुक्ति प्राधिकारी; (2) नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति के साथ निहित प्राधिकारी; (3) वह प्राधिकारी जो पारिश्रमिक निर्धारित करता है; (4) वह स्रोत जिससे पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है और (5) वह प्राधिकारी जो पद के कर्तव्यों का निर्वहन जिस तरीके से किया जाता है, उसे नियंत्रित करने की शक्ति के साथ

निहित है। सभी कारक उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। किस कारक पर जोर दिया जाएगा यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। लेकिन जहां किसी दिए गए मामले में कई तत्व मौजूद हैं तो प्रश्नगत अधिकारी उस प्राधिकारी के अधीन पद धारण करता है जो इस प्रकार सशक्त है। इस न्यायालय ने बताया कि संविधान स्वयं "सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाले" और "सरकार के अधीन पद या सेवा धारण करने वाले" के बीच अंतर करता है (अनुच्छेद 309 और 314 देखें)। संविधान ने "सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाले" और "सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण करने वाले" के बीच भी अंतर किया है (अनुच्छेद 58 (2) और 66 (4) देखें)। गुरुगोबिंद बसु के मामले (उपरोक्त) में, अपीलकर्ता एक अनुबंधित लेखाकार था। वह लेखा परीक्षकों की एक फर्म का भागीदार था। यह फर्म अन्य कंपनियों के बीच दो कंपनियों के लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करती थी। एक कंपनी पूरी तरह से भारत संघ के स्वामित्व में थी और दूसरी कंपनी पूरी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार के स्वामित्व में थी। न्यायालय को यह विचार करना आवश्यक था कि क्या अनुबंधित लेखाकार को सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कहा जा सकता है। इस संदर्भ में इस न्यायालय ने कहा कि सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने का यह अर्थ आवश्यक नहीं है कि पद धारण करने वाला व्यक्ति सरकार की सेवा में होना चाहिए। स्वामी और सेवक का कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। हालांकि, उस मामले में अनुबंधित लेखाकार को केंद्र सरकार द्वारा दो कंपनियों के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था; वह केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाने योग्य था; भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने उस पर पूर्ण नियंत्रण रखा और उसका पारिश्रमिक केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया था, हालांकि इसका भुगतान संबंधित कंपनियों द्वारा किया गया था। इस स्थिति में न्यायालय ने कहा कि वह सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहा था।

इसी परीक्षण को इस न्यायालय ने *डी.आर. गुरुशांतप्पा बनाम अब्दुल खुद्दस अनवर और अन्य,* ए.आई.आर. (1969) एस.सी. 744 के मामले में दोहराया। *गुरुगोबिंद बसु* के मामले (उपरोक्त) में दिए गए परीक्षणों पर इस मामले में भरोसा किया गया था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 191 के तहत सरकार द्वारा कंपनी का अप्रत्यक्ष नियंत्रण जिसमें लाभ का पद धारण किया गया था, अपेक्षित नहीं था। गुरुशांतप्पा (उपरोक्त) के मामले में एक सरकारी उपक्रम को कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था। कंपनी के शेयर सरकार के पास थे। अभ्यर्थी कंपनी में एक अधीक्षक के रूप में कार्यरत था। अधीक्षक के रूप में कार्यरत एक कर्मचारी को नियुक्त करने और बर्खास्त करने की शक्ति सरकार में निहित नहीं थी। उस कर्मकार द्वारा पद के कर्तव्यों का निर्वहन जिस तरीके से किया जाना था, उसे नियंत्रित करने और निर्देश देने की शक्ति भी सरकार में निहित नहीं थी। यहां तक कि कर्मकार को देय पारिश्रमिक के प्रश्न को निर्धारित करने की शक्ति भी सरकार में निहित नहीं थी। इन परिस्थितियों में, निदेशकों को नियुक्त करने और कंपनी को सामान्य निर्देश देने की अपनी शक्ति के कारण सरकार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अप्रत्यक्ष नियंत्रण कंपनी के सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग के अधीक्षक के पद को सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं बना सकता था।

न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (क) के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 पर विचार किया। इसने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (क) के तहत निर्धारित निरर्हता सरकार के नियंत्रण के अधीन एक कंपनी के लाभ का पद धारण करने वाले पर लागू होने का आशय नहीं है। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 है, जो एक कंपनी में लाभ का पद धारण करने से संबंधित है, जिसकी पूंजी में सरकार का 25% से कम हिस्सेदारी नहीं है। अन्यथा यह धारा अनावश्यक हो जाएगी। साथ ही, संसद ने जब अधिनियम पारित किया, तो यह आवश्यक नहीं समझा कि सरकारी कंपनी के अधीन लाभ का पद धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निरर्हित किया

जाए। इसने निरर्हता को ऐसी कंपनी के प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव का पद धारण करने वाले व्यक्तियों तक सीमित कर दिया। इसलिए, यह तथ्य कि किसी कंपनी में संपूर्ण शेयर पूंजी सरकार के स्वामित्व में है, संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (क) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 के बीच के अंतर को समाप्त नहीं करता है।

हालांकि, बाद के मामले *बिहारीलाल डोबराय बनाम रोशन लाल डोबराय* [1984] 1 एस.सी.सी. 551 (पृष्ठ 569 पर) में इस न्यायालय ने कहा कि भले ही एक निगमित निकाय का निगमन यह सुझाव दे सकता है कि कानून का आशय इसे सरकार से स्वतंत्र एक सांविधिक निगम बनाना था, लेकिन यह इस प्रश्न पर निर्णायक नहीं है कि क्या यह वास्तव में इतना स्वतंत्र है। कभी-कभी प्रारूप सरकार से स्वतंत्र एक निगमित निकाय का हो सकता है। लेकिन सार में यह स्वयं सरकार का ही दूसरा रूप (अल्टर ईगो) हो सकता है। उक्त प्रश्न के निर्धारण का वास्तविक परीक्षण इस पर निर्भर करता है कि सरकार का इस पर नियंत्रण की डिग्री क्या है, कई अन्य निकायों या समितियों द्वारा इस पर प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण की सीमा और उनकी संरचना, इसकी वित्तीय जरूरतों के लिए सरकार पर इसकी निर्भरता की डिग्री और इसका कार्यात्मक पहलू, अर्थात्, क्या निकाय कोई महत्वपूर्ण सरकारी कार्य निर्वहन कर रहा है या केवल कुछ ऐसा कार्य जो सरकार के लिए केवल वैकल्पिक है। बिहारीलाल डोबराय में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के तहत बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा नियोजित एक शिक्षक को राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला माना गया था इस आधार पर कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया। अधिनियम ने राज्य सरकार को सभी बेसिक स्कूलों को अपने अधिकार में लेने में सक्षम बनाया जो राज्य में स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे थे और अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अनुसार उनका प्रबंधन करने; साथ ही बोर्ड के माध्यम से राज्य में संपूर्ण बेसिक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों का प्रशासन करने में सक्षम बनाया। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को उन

अधिकारियों द्वारा नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाना था जो स्वयं सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। कर्मचारियों के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही राज्य सरकार के अंतिम निर्णय के अधीन थी। इन परिस्थितियों में, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम के तहत एक शिक्षक का पद सरकार के अधीन लाभ का पद था।

हालांकि, *सत्रुचरला चंद्रशेखर राजू बनाम विचेरला प्रदीप कुमार देव और एक अन्य* [1992] 4 एस.सी.सी. 404 के मामले में, एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण (आई.टी.डी.ए) द्वारा संचालित एक स्कूल के शिक्षक का पद, जो एक पंजीकृत सोसायटी थी, को सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं माना गया। सरकार ने अपने आदेश द्वारा निर्देश दिया था कि एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी में सभी शैक्षणिक संस्थान शिक्षा विभाग के एकीकृत नियंत्रण में लाए जाएंगे। सरकार ने पदों के निर्माण और व्यय को पूरा करने के लिए निधि के लिए मंजूरी दी। एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी के परियोजना अधिकारी, जो जिला समाहर्ता भी थे, ने अकेले शिक्षकों को नियुक्त किया और उन्हें निष्कासित करने की शक्ति थी। न्यायालय ने कहा कि सरकार के नियंत्रण की डिग्री और सीमा की जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों पर करनी होगी। यद्यपि सरकार का एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी पर कुछ नियंत्रण था, यह अपनी संविधान वाली एक पंजीकृत सोसायटी थी। सरकार के बजाय परियोजना अधिकारी के पास शिक्षकों को नियुक्त करने और निष्कासित करने की शक्ति थी। पूरी योजना जनजातियों के कल्याण के लिए स्थापित की गई थी और इसे एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी, जो स्वयं एक प्राधिकारी है, को सौंपा गया था, जो कुछ पहलुओं में सरकार के नियंत्रण के अधीन था जैसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की तरह। इसलिए, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण लेते हुए यह नहीं कहा जा सकता था कि शिक्षक सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहा था।

हमें अधिक प्राधिकारों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 191 (1) (क) को लागू करने के सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होते हैं।

हालांकि, अपीलकर्ता ने *गुजरात राज्य और एक अन्य आदि बनाम रमन लाल केशव लाल सोनी और अन्य आदि,* [1983] 2 एस.सी.सी. 33 पर भरोसा किया जो इस न्यायालय की एक संविधान पीठ का निर्णय था। यह निर्णय अनुच्छेद 191 (1) (क) से संबंधित नहीं था। हालांकि, इस न्यायालय को यह तय करना आवश्यक था कि क्या भूतपूर्व-नगरपालिका कर्मचारियों को जो राज्य सरकार की पंचायत सेवा को आवंटित किए गए थे, को सरकारी सेवकों का दर्जा प्राप्त था। न्यायालय ने गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की जांच की और माना कि गुजरात पंचायत अधिनियम की धारा 203 के तहत गठित पंचायत सेवा राज्य की एक दीवानी सेवा है और सेवा के सदस्य सरकारी सेवक हैं। हम यह समझने में विफल हैं कि इस निर्णय को वर्तमान मामले के तथ्यों पर कैसे लागू किया जा सकता है।

बोकारो इस्पात संयंत्र भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन है। यह कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक कंपनी है। निःसंदेह, इसके शेयर केंद्र सरकार के स्वामित्व में हैं। अध्यक्ष और निदेशक मंडल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि, बोकारो इस्पात संयंत्र में श्रमिकों की नियुक्ति और निष्कासन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के नियंत्रण में है। उनका पारिश्रमिक भी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड या बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा निर्वहन किए गए कार्यों को सरकार के आवश्यक कार्य नहीं माना जा सकता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के ज्ञापन अनुबंध में निर्धारित उद्देश्यों में भारत में या कहीं और सभी गुणों, ग्रेड और प्रकारों के लोहे और इस्पात के निर्माण, पूर्वेक्षण, उत्थापन, संचालन, क्रय, विक्रय, आयात, निर्यात, क्रय या अन्यथा व्यापार या व्यवसाय करना शामिल है। इन उद्देश्यों में लोहे और इस्पात उद्योग के एकीकृत और कुशल विकास को बढ़ावा देने और व्यवस्थित करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना और उद्देश्य खंड में निर्धारित तरीके से सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना भी शामिल है। इस संदर्भ में खलासी या मीटर रीडर के पद को धारण करने वाला एक

कर्मचारी केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं है और न ही उसकी नियुक्ति या निष्कासन की शक्ति केंद्र सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है। उसके कार्य पर नियंत्रण सरकार द्वारा नहीं, बल्कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए, उत्तरदाताओं को केंद्र सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जा सकता है।

उच्च न्यायालय, इसलिए, यह मानने में सही था कि दोनों उत्तरदाताओं के नामांकन पत्र गलत तरीके से अस्वीकार किए गए थे और इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के तहत अपीलकर्ता के निर्वाचन को अपास्त करना आवश्यक था। परिसर में अपीलें लागत सहित खारिज की जाती हैं।

एस.वी.के.आई. अपील खारिज।

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**